<u>न्यायालयः–दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी</u> तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 693 / 12 संस्थित दिनांक 29.08.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा, जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन।

विरुद्ध

1.इदरीश खान पिता मुन्नाखान, उम्र—25 वर्ष, निवासी बिरसा थाना बिरसा जिला बालाघाट। 2.बीरज पन्द्रे पिता स्व0 मेहतरसिंह पन्द्रे, उम्र—24 वर्ष, निवासी खुर्सीपार थाना बिरसा जिला बालाघाट (म0प्र0)।

.....अभियुक्तगण।

-:: <u>निर्णय</u>::---

दिनांक <u>25.04.2017</u> को घोषित::-

- 1. अभियुक्त इदरीश खान पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा—3/181, 146/196 का आरोप है कि अभियुक्त इदरीश खान ने घटना दिनांक—14.07.2012 को करीब 3:30 बजे मण्डला बैंक सोसायटी के पास मेन रोड अंतर्गत थाना बिरसा के पास लोक मार्ग पर वाहन हीरोहोण्डा मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08एन.ए.5375 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, उक्त वाहन से मोटर सायकिल को टक्कर मारकर आहत जीरू उर्फ जीरनसिंह को घोर उपहित कारित कर, उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति एवं बिना बीमा के चलाया एवं अभियुक्त बीरज पन्द्रे पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5/180 का आरोप है कि मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08एन.ए.5375 के स्वामी होते हुए उक्त वाहन इदरीश खान को उसके पास वैध लायसेंस नहीं होना जानते हुये चलाने दिया।
- 2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बिरसा को चिकित्सक हेमा बिसेन ने आहत जीरू का उपचार कर घटना के बारे में सूचना दी थी। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना बिरसा ने आहत जीरू एवं खुशियाल के कथन लिये थे। कथन में उन्होंने बताया था कि वह उनकी मोटर सायकिल से बिरसा से बोंदारी गांव से जाते समय

दमोह तरफ से बिरसा आने वाली मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08एन.ए. 5375 के चालक अभियुक्त इदरीश खान ने उसके वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मण्डला ग्रामीण बैंक सोसायटी के पास टक्कर मारकर चोट पहुँचाई थी। चिकित्सक की सूचना के आधार पर एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बिरसा में अपराध क्रमांक 83 / 12 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

- तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त इदरीश खान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3 / 181, 146 / 196 का अपराध विवरण बनाकर पढ़कर सुनाया एवं समझाया था एवं अभियुक्त बीरज पन्द्रे को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 5 / 180 का अपराध विवरण बनाकर पढ़कर सुनाया एवं समझाया था। अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार कर विचारण चाहा था।
- अभियुक्तगण का धारा–313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया था। अभियुक्तगण का कहना है कि वह निर्दोष है, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

- क्या अभियुक्त इदरीश खान ने घटना दिनांक 14.07.2012 को 3:30 बजे मण्डला बैंक सोसायटी के पास मेन रोड अंतर्गत थाना बिरसा के पास लोकमार्ग पर वाहन हीरोहोण्डा मोटर सायकिल क्रमांक सी. को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन जी.08एन.ए.5375 संकटापन्न किया था ?
- क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मोटर सायकिल को टक्कर मारकर आहत जीरू उर्फ जीरन को घोर उपहति कारित की थी ?
- क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी.08एन.ए.5375 को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया ?

- 4. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त मोटर सायकिल को बिना बीमा के चलाया ?
- 5. क्या अभियुक्त बीरज पन्द्रे ने घटना दिनांक 14.07.2012 को करीब 3:30 बजे मण्डला बैंक सोसायटी के पास मेन रोड अंतर्गत थाना बिरसा के पास लोक मार्ग पर हीरोहोण्डा मोटर सायकिल क्रमांक सी.जी. 08एन.ए.5375 का स्वामी होते हुए उक्त वाहन इदरीश खान को उसके पास वैध लायसेंस नहीं होते हुए जानते हुए चलाने दिया ?

<u> विवेचना एवं निष्कर्ष</u> :--

- 6— साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 7— जीरू अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। घटना न्यायालयीन कथन से लगभग एक—डेढ़ वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को वह खुशियाल की मोटर सायिकल पर बैठकर वापस बोंदारी जाने के लिये निकला था, मोटर सायिकल बिरसा रोड के पास पहुँची थी तो दमोह तरफ से मोटर सायिकल चालक ने फरियादी के दांये पैर की पिण्डली में टक्कर मार दी थी। टक्कर से साक्षी बेहोश हो गया था। साक्षी का शासकीय अस्पताल बिरसा एवं उसके पश्चात शासकीय अस्पताल बालाघाट में इलाज हुआ था। साक्षी ने बताया कि उक्त दुर्घटना सामने वाले मोटर सायिकल चालक की गलती से हुई थी। साक्षी उसकी साईड से जा रहा था।
- 8— खुशियाल अ.सा.02 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना न्यायायलीन कथनों से पूर्व की जुलाई—अगस्त माह की है। घटना दिनांक को वह जीरू बैगा के साथ मोटर सायकिल से वापस बोंदारी जाने के लिये निकला था। मोटर सायकिल बिरसा रोड पर पहुँची थी, तभी दमोह की तरफ से मोटर सायकिल चालक ने मोटर सायकिल को ओवर टेक कर आगे बढ़ा दी थी, वह अपनी साईड की ओर गया था, जिससे जीरू बैगा के पैर में टक्कर लगी थी, जिससे जीरू बैगा गिर गया था। मोटर सायकिल इदरीश खान नहीं चला रहा था। साक्षी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बिरसा में की थी एवं साक्षी ने पुलिस को घटनास्थल

का मौका नक्शा बताया था। घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.01 है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.02 के कथन में अभियुक्त द्वारा मोटर सायकिल चलाना बताया था।

9— नवीन गोस्वामी अ.सा.03 का कथन है कि घटना न्यायालयीन कथनों से एक—डेढ़ वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को जब वह बिरसा बस स्टेण्ड पर था, तब दिन के लगभग 3—4 बजे थे, तब साक्षी को दुर्घटना होने के संबंध में जानकारी मिली थी। साक्षी ने ६ । एक सार्थल पर जाकर देखा था कि अभियुक्त एवं उसका एक साथी एवं आहत एवं उसका एक साथी गिरे पड़े थे। एक साईड में मोटर सायकिल गिरी पड़ी थी। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.03 का अ से अ भाग का कथन देने से इंकार किया है। इस साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।

10— हेमा बिसेन अ.सा.04 का कथन है कि वह दिनांक 14.07.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को 5:30 बजे खुशियाल यादव आहत जीरू को अस्पताल लेकर आये थे, जिसके बारे में बाईक सवार से टक्कर होना बताया था। चिकित्सक द्वारा थाना प्रभारी बिरसा को प्र.पी.04 की सूचना दी थी। चिकित्सक ने आहत का मेडिकल परीक्षण करते समय आहत को दाहिने पैर के उपरी एवं मध्य बाले भाग में चोट पाई थी, जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 5 गुणा 5 इंच थी। चिकित्सक के मतानुसार उक्त चोट बोथरी एवं कठोर वस्तु से आना दर्शित हो रही थी। चोट परीक्षण से 4—6 घंटे पूर्व की थी। चिकित्सक द्वारा आहत को एक्स—रे के लिये शासकीय अस्पताल बालाघाट रिफर किया था। चिकित्सक की रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक ने यह स्वीकार किया है कि आहत को चोट रोड पर गिरने से आ सकती थी।

12— दादूराम पटले प्रधान आरक्षक अ.सा.05 का कथन है कि उसे दिनांक 29.08.2012 को जांच के लिये अपराध कमांक 83/12 की केस डायरी प्राप्त हुई थी। उक्त साक्षी द्वारा प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया गया था, जिसमें आहत जीरू की एक्स—रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियुक्त पर धारा—338 भा0द0वि0 का इजाफा किया गया था। इस साक्षी द्वारा तैयार किया गया अंतिम प्रतिवेदन प्र.पी.06 है।

स्वीकार किया है कि कोई व्यक्ति दाहिने पैर के बल पर बलपूर्वक कड़े

स्थान पर टकराये तो ऐसी चोट आना संभव है।

13— अब्दुल नसीम अ.सा.07 का कहना है कि उसका वाहनों को सुधारने का गैरेज है। उसे 23 साल का अनुभव है। अनुभव के आधार पर साक्षी ने वाहन का परीक्षण किया था। साक्षी का कथन है कि उसने वाहन का परीक्षण किस दिनांक को किया था उसे पता नहीं है। साक्षी ने बताया कि उसने हीरोहोण्डा वाहन का परीक्षण किया था। वाहन की टूट—फूट के संबंध में पुलिस वालों ने पूछताछ की थी। साक्षी ने वाहन के सामने तथा साईड के भाग में टूट—फूट पाई थी। साक्षी ने वाहन के सामने तथा कि वाहन में क्या टूट—फूट पाई थी। साक्षी की परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने बताया है कि उसे पता नहीं है कि वाहन कमांक सी.जी.08एन.ए.5375 का वाहन परीक्षण दिनांक 17.07.2012 को किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया कि पुलिस ने प्र.पी.08 के

प्रतिवेदन की कार्यवाही पहले से करके रखी थी, उसके बाद साक्षी ने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त वाहन दुर्घटना से खराब हुआ हो तो वह नहीं बता सकता क्योंकि उसने वाहन का परीक्षण नहीं किया था। इस साक्षी ने वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करने से इंकार किया है, इस कारण प्र.पी.08 की मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं मानी जाती है।

अशोक राणा प्रधान आरक्षक अ.सा.08 का कथन है कि दिनांक 14.07.2012 को अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने पर उसकी जांच के आधार पर एवं आहत जीरू एवं खुशियाल के कथन के आधार पर अपराध क्रमांक 83 / 12 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.09 अभियुक्त के विरूद्ध लेखबद्ध की थी। आहत जीरू का मेडिकल परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में कराया था। मेडिकल फार्म प्र.पी.10 है। साक्षी ने फरियादी खुशियाल यादव की निशादेही से प्र.पी.01 का नक्शा मौका तैयार किया था एवं अभियुक्त से एक हीरोहोण्डा मोटर सायकिल सी.जी.08एन.ए. 5375 की चालू हालत में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सहित प्र.पी.10 जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त की थी। अभियुक्त को प्र.पी.11 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया था। साक्षी ने वाहन स्टार सीटी क्रमांक सी.जी. 08.एच.२६१३ का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.१२ बनाया था। साक्षी ने वाहन कमांक सी.जी.08.एन.ए.5375 का वाहन परीक्षण अब्दुल नसीम से करवाया था एवं आहत जीरू, साक्षीगण खुशियाल, नवीन गोस्वामी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी ने हीरोहोण्डा मोटर सायकिल मालिक को नोटिस दिया था, जिसमें उसने बताया था कि उक्त वाहन कमांक सी.जी.08.एन.ए.5375 को इंदरीश खान चला रहा था, जिसमें वह पीछे बैठा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के सभी सुझावों को अस्वीकार किया है।

अभियुक्त के अधिवक्ता ने तर्क में यह बताया है कि अभियुक्त ने दुर्घटना कारित नहीं की थी। अभियुक्त को प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।

जीरू अ.सा.01 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह मोटर सायकिल के पीछे बैठा था, उसे सड़क नहीं दिख रही थी। सामने से आ रही मोटर सायकिल कैसे चल रही थी उसे पता नहीं। साक्षी ने सुझाव में यह भी बताया है कि दोनों मोटर सायकिल टकरा गई थी, जिसके कारण वह नीचे गिर गया था, जिससे उसे चोट आई थी। इस साक्षी ने उसकी साक्ष्य में मोटर सायकिल किस प्रकार चल रही थी यह नहीं बताया है। खुशियाल अ.सा.02 ने उसके प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय अभियुक्त मोटर सायकिल नहीं चला रहा था। खुशियाल अ.सा.01 ने मौका नक्शा पर थाने में हस्ताक्षर करना बताया है। नवीन गोस्वामी अ.सा.02 ने भी उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। जीरू अ.सा.01 ने उसकी साक्ष्य में घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित नहीं की है एवं घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर भी नहीं बताया है। घटना कारित करने वाली मोटर सायकिल कैसे चल रही थी इसके बारे में नहीं बताया है। खुशियाल अ.सा.02 एवं नवीन अ.सा.03 ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि घटना कारित करने वाली मोटर सायकिल किस गति से चल रही थी एवं घटना कारित करने वाली मोटर सायकिल का नंबर क्या था। घटना का अन्य कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। आहत जीरू अ.सा.01, खुशियाल अ.सा.02, नवीन गोस्वामी अ.सा.03 घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। तीनों ही साक्षियों ने घटना का समर्थन नहीं किया है। इन साक्षियों की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त इदरीश खान के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायिकल को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन से आहत जीरू को टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की थी।

विचारणीय प्रश्न कमांक 03.04.05 का निराकरणः-

17— साक्ष्य की पुनरावृत्ति नहीं हो इस कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 03, 04, 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

अशोक राणा प्रधान आरक्षक ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त वाहन कमांक सी.जी.ए०८एन.ए.5375 को बिना वैध अनुज्ञप्ति एवं बिना बीमा के चला रहा था एवं उक्त मोटर सायकिल को अभियुक्त बीरज पन्द्रे ने उक्त मोटर सायकिल का स्वामी होते हुये अभियुक्त इदरीश खान के पास लायसेंस न होना जानते हुये चलाने को दी थी, परन्तु आहत जीरू अ.सा.०१ ने उसकी साक्ष्य में घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित नहीं की है। खुशियाल अ.सा.02 ने बताया है कि घटना के समय अभियुक्त मोटर सायकिल नहीं चला रहा था। नवीन गोस्वामी अ.सा.०३ ने भी उसकी साक्ष्य की कंडिका ०२ के सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उसकी मोटर सायकिल से टक्कर मारी थी। घटना के फरियादी जीरू एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी खुशियाल एवं नवीन गोस्वामी की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि ६ ाटना के समय अभियुक्त मोटर सायकिल चला रहा था। घटना के प्रत्य क्षदर्शी साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में घटना कारित करने वाली मोटर सायकिल का नंबर नहीं बताया है एवं घटना के संबंध में यह भी नहीं बताया है कि घटनास्थल पर अभियुक्त इदरीश खान प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल को बिना बीमा, बिना लायसेंस के चला रहा था। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त बीरज पन्द्रे ने प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल को अभियुक्त इदरीश खान को वैध लायसेंस न होने के बावजूद चलाने को दी थी। यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त इदरीश खान ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल को बिना बीमा एवं बिना वैध अनुज्ञप्ति के चलाया था एवं अभियुक्त बीरज पन्द्रे ने अभियुक्त इदरीश खान को प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल को बिना वैध लायसेस के चलाने को दी थी।

प्रकरण में उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त इदरीश खान के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–279 एवं 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 146/196 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है एवं अभियुक्त बीरज पन्द्रे के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-5 / 180 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त इदरीश खान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 146/196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है एवं अभियुक्त बीरज पन्द्रे को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-5 / 180 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- प्रकरण में अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं 20-रहे है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 🔑 प्रकरण में अभियुक्तगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा—437(क)के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।
- प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल आवेदक की सुपुर्दगी पर 22-है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

(दिलीप सिंह) न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बैहर जिला-बालाघाट

्रितीप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला—बालाघाट